# झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

## सी. एम. पी. संख्या 389/2019

तोरिस यादव

........... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

.......उत्तरदाता

...

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

...

याचिकाकर्ता के लिए : श्री मुकेश कुमार मेहता, अधिवक्ता

राज्य के लिए : सीनियर एससी-I के एसी

...

3/07.02.2020 यह सीएमपी, डब्ल्यूपी (एस) संख्या 2559/ 2018 की पुनर्बहाली के लिए दायर किया गया है, जिसे अनिवार्य आदेश का अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्तां ने निवेदन किया है कि असावधानी के कारण उक्त। अनिवार्य आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका। उन्होंतने यह भी निवेदन किया है कि रिट याचिका

संख्या 2559/2018 दिनांक 04.02.2019 में पारित आदेश का अनुपालन दो सप्ताह के भीतर कर लिया जाएगा।

उपर्युक्त निवेदन पर विचार करते हुए, इस सीएमपी में की गई प्रार्थना स्वी कार की जाती है। कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को आज से दो सप्ताह के भीतर दूर कर लेने की शर्त पर रिट याचिका संख्या 2559/2018 को उसकी मूल फाइल में पुनर्बहाल किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया०)

मुकुंद/- सीपी. 2